भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 12/07/2018

File No. SKS/5/2017/STGMP/SEPROM/RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
ऊर्जा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, (मध्य प्रदेश)

2. प्रबंध निदेशक,
एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
ब्लॉक न. 2, शक्ति भवन रामपुर,
जबलपुर, (मध्य प्रदेश)

विषयः दिनांक 04–04–2018 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा प्रमुख सचिव भोपाल, मध्य प्रदेश के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 04–04–2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवंम आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. श्री एस.के. सचदेव, प्रातीय महासचिव,
म.प्र.विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ,
एस.ओ.–04, म.प्र. रा.वि.मं. कालोनी, रामपुर,
जबलपुर (मध्य प्रदेश) – 482008

2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. - SKS/5/2017/STGMP/SEPROM/RU-III

श्री एस. के. सचदेव, प्रांतीय महासचिव, मध्य प्रदेश विध्युत म्ण्डल आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग की मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मे अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 2012 से 2014 तक पदोन्नति का लाभ जातिगत द्वेष, दुर्भावना से न देकर षड्यंत्र पूर्वक उत्पीड़ित कर प्रताड़ित करने के मामले मे आयोग को दिये गए अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 04.04.2018 को आयोग में संपन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 04.04.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री एस. के. सचदेव, प्रांतीय महासचिव, मध्य प्रदेश विध्युत म्ण्डल आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, जबलपुर ने दिनांक 18.08.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग की मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मे अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 2012 से 2014 तक पदोन्नति का लाभ जातिगत द्वेष, दुर्भावना से न देकर षड्यंत्र पूर्वक उत्पीड़ित कर प्रताड़ित करने के मामले मे आयोग से न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दिनांक 06.09.2017 को एक नोटिस भेजकर सचिव, ऊर्जा विभाग से जानकारी मांगी। किन्तु इस पर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। इसके पश्चात आयोग ने पुनः दिनांक 02.11.2017 को एक अनुस्मरण नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। इसके प्रत्युत्तर मे उप सचिव, मध्य

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का दिनांक 19.12.2017 का पत्र प्राप्त हुआ। विभाग के इस जवाब से अभ्यावेदक को सूचित किया गया।

3. इस मामले में अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 19.02.2018 को पुनः अभ्यावेदन देकर असंतुष्टि जाहीर करते हुये न्याय दिलाने का निवेदन किया गया। आयोग ने इस पर विचार कर दिनांक 27.03.2018 को एक नोटिस भेजकर प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन को दिनांक 04.04.2018 को आयोग में चर्चा के लिए बुलाया।
4. दिनांक 04.04.2018 को आयोग में चर्चा के लिए प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा उप सचिव (ऊर्जा) मध्य प्रदेश शासन उपस्थित हुए।
5. आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि वे वर्ष 2013-14 से पदोन्नति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विभाग द्वारा सहायक यंत्री से कार्यपालक यंत्री के पद पर चार बार प्रोमोशन किया गया किन्तु एक भी अनुसूचित जनजाति का इसमे नाम नही रहा। भर्ती के समय कंपनी राज्य विध्युत मण्डल से अलग हो गई थी। तब पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा एक ही लिस्ट मे चयन कर पदास्थापित किया गया। पदस्थापना के बाद जब पदोन्नति का मामला आया तब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की पदोन्नति नही की गई। कंपनी द्वारा जानबूझकर अनुसूचित जनजाति को उपेक्षित किया गया है, शासन हितों के लाभ से वंचित रखा गया है तथा मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण अधिनियम, 1994 की उपेक्षा की गई है। कार्यपालन अभियंता के बैकलॉग पदों को पदोन्नति से भरने मे वर्ष 2012 से उपलब्ध सहायक अभियन्ताओं को जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित करने की द्वेष भावना से वंचित किया गया है।
6. आयोग ने प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा उप सचिव (ऊर्जा) मध्य प्रदेश शासन से अभ्यावेदक की शिकायत पर जानकारी माँगी। इस पर उपस्थित अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि पदोन्नति के नियम कंडिका 5 के मुताबिक पदोन्नति करने के लिए 5 वर्ष के एसीआर को देखा जाता है। वर्ष की गणना 1 जनवरी तथा 31 दिसंबर को की जाती है। अभ्यावेदक की पात्रता 2012 मे नही है बल्कि 2015 मे है। साथ ही फीडर कैडर मे अभी कर्मी उपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति मे कंपनी कैडर मे पदोन्नति नही की जा सकती।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात् निम्नलिखित संस्तुतियां की:-

i. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से मामले से संबन्धित स्पष्टीकरण और टिप्पणी मंगाई जाय। इसमे यह स्पष्ट किया जाय कि द्वितीय श्रेणी के पदों पर दिनांक 08.11.2017 को सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों के आगामी पदोन्नति के लिए अर्हरकारी सेवा के पाँच वर्ष कब पूरे होंगे तथा आवश्यक पाँच एसीआर के पाँच वर्ष कब पूरे हो रहे हैं? साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाय कि उनकी पदोन्नति के लिए पदोन्नति समिति की बैठक किस वर्ष आहूत की जानी चाहिए?

ii. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से मामले से संबन्धित स्पष्टीकरण और टिप्पणी के आधार पर विभाग इस मामले मे नियमानुकूल कार्यवाही कर अभ्यावेदक को समुचित पदोन्नति का लाभ प्रदान करे।

इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन 30 दिनों के अन्दर सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से मामले से संबन्धित स्पष्टीकरण और टिप्पणी मंगाए तथा आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट/ अंतरिम रिपोर्ट से अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F. No. - SKS/5/2017/STGMP/SEPROM/RU-III

श्री एस. के. सचदेव, प्रांतीय महासचिव, मध्य प्रदेश विध्युत मण्डल आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग की मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मे अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 2012 से 2014 तक पदोन्नति का लाभ जातिगत द्वेष, दुर्भावना से न देकर षड्यंत्र पूर्वक उत्पीड़ित कर प्रताड़ित करने के मामले मे आयोग को दिये गए अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 04.04.2018 को आयोग में संपन्न बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी

1. श्री पी.ए.आर. बेंदे, एम.डी., एम.पी.पी.टी.सी.एल.
2. श्री एस. के. शर्मा, डी.एस.
3. श्री एस. के. गायकवाड, सी. ई.

अभ्यावेदक

1. श्री एस. के. सचदेव